

कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़, (छत्तीसगढ़)

—:: निविदा सूचना ::—

क्रमांक / 1978 / जिला नाजिर. / 2019

रायगढ़, दिनांक 02 मार्च, 2019

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिलाध्यक्ष कार्यालय कलेक्टोरेट परिसर रायगढ़ में स्थित वाहन स्टैण्ड के संचालन का ठेका 01 वर्ष अर्थात् दिनोंक 01 / 04 / 2019 से 31 / 03 / 2020 तक के लिए दिया जाना है, जिसके लिए बंद निविदा दिनोंक 20 / 03 / 2019 को अपराह्न 03 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जिसे उसी दिन रांघ्या 05.00 बजे समिति के उपरिधति में प्रभारी अधिकारी, नजरात शाखा, जिला कार्यालय, रायगढ़ के समक्ष खोली जावेगी। उक्त निविदा के संबंध में सामान्य शर्तें निम्नानुसार है :-

निविदा की सामान्य शर्तें :-

1. निविदाकार को निविदा के साथ धरोहर 'राशि' के रूप में रूपये 20,000 /- (बीस हजार) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट कलेक्टर, रायगढ़ के हित में तैयार कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. केवल पंजीकृत / स्पीड पोस्ट से प्राप्त निविदाएँ ही स्वीकार की जायेगी, उक्त निविदा कलेक्टर (नजरात शाखा) रायगढ़ के नाम से भेजी जाय, जो दिनोंक 20 / 03 / 2019 को सायं 03.00 बजे तक इस कार्यालय को प्राप्त होना अनिवार्य है, विलम्ब से प्राप्त निविदा नहीं खोली जावेगी, जिसके लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
3. ठेकेदार को केवल गैर शासकीय वाहन एवं गैर शासकीय व्यक्तियों द्वारा लाये गये वाहन का ही किराया लेने का अधिकार होगा।
4. ठेकेदार को किराये के रूप में प्रतिदिन प्रतिवाहन सायकल 5 /- (पांच रु.), मोटर सायकल 10 /- (दस रूपये) एवं कार (चार पहिया वाहन) 20 /- (बीस रूपये) के दर से लेना होगा, जिसकी रसीद संबंधित ठेकेदार द्वारा देना अनिवार्य होगा।
5. निविदा की अधिकतम राशि ही स्वीकृत की जावेगी। निविदा स्वीकृति की दशा में निविदा की स्वीकृत राशि का तीन माह के समतुल्य राशि अग्रिम देनी होगी व प्रतिमाह 05 तारीख के पूर्व मासिक किस्त के रूप में देनी होगी, अग्रिम राशि वर्ष के अंतिम तीन माहों में समायोजित की जायेगी। समयावधि में राशि जमा न कर पाने की दशा में निविदाकार की जमा धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात कर वाहन स्टैण्ड की पुनः नीलामी की कार्यवाही की जावेगी।
6. कलेक्टर, रायगढ़ को यह अधिकार होगा कि वे किसी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए अस्वीकृत अथवा निरस्त कर सकेंगे।
7. वाहन स्टैण्ड पर रखे गये वाहन के सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर बिना कारण बताये प्रभारी अधिकारी नजरात शाखा जिला कार्यालय रायगढ़ द्वारा निरस्त कर सकेंगे।
9. किसी भी विवाद की दशा में प्रभारी अधिकारी नजरात शाखा कार्यालय कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। जिसकी अपील केवल कलेक्टर के समक्ष की जा सकेगी।

अपर कलेक्टर,
रायगढ़

रायगढ़, दिनांक 2 मार्च 2019

पू०क्रमांक / 1978 A / जिला नाजिर. / 2019

प्रतिलिपि :-

1. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला
2. सर्व तहसीलदार, रायगढ़ जिला
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, रायगढ़
4. सर्व नगरपालिक अधिकारी, नगर पंचायत, रायगढ़ जिला
- को सूचनार्थ एवं सूचना पटन पर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
5. सहायक संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं सभी स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी रायगढ़ को जिले की वेब साईट www.raigarh.gov.in में अपलोड करने बाबत।

अपर कलेक्टर,
रायगढ़

Tender

288

कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़, (छत्तीसगढ़)

कार्य का नाम : कलेक्टोरेट परिसर स्थित वाहन स्टैण्ड का संचालन
(बोली प्रपत्र)

(तकनीकी बोली प्रपत्र पृथक सीलबंद लिफाफा में "तकनीकी बोली" लिखकर रखा जावे)

"कलेक्टोरेट परिसर का वाहन स्टैण्ड"

स.क्र.	विवरण	बोलीकर्ता द्वारा भरा जावे
01	निविदा कर्ता का नाम	
02	प्रति माह किराया राशि	(रु.....) शब्दों में (.....)
03	ई.एम.डी.विवरण (अमानत राशि)	(रु.20,000/- (बीस हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट क्रं. बैंक का नाम

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर,

दिनांक

नाम